

राजस्थान सरकार  
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक: 96 / भू0अ0 / ज0सं0 / 2015 /

दिनांक:

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, फुलपुरी माईकों सिंचाई परियोजना के निर्माण/डूब क्षेत्र में शेष रहे खसरो की भूमि अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित इलाको की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः विज्ञप्ति अधिनियम के प्रावधानों की धारा-11 व 12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे सम्बन्ध है, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये हैं।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नांकित क्षेत्र की किसी भूमि के अवाप्ति करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने के 60 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सज्जनगढ को प्रस्तुत कर सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार

सलग्न:-सूची

आज्ञा से,

६०

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्राव.सहायक

वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन

राजस्थान जयपुर।

दिनांक: 17/7/2018

क्रमांक: 96 / भू0अ0 / ज0सं0 / 2015 / 3069 - 3072

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन संभाग उदयपुर।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधोक्षक,राजकीय मुद्रणालय,जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है। कृपया प्रकाशन की सूचना से इस विभाग को यथा शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावें।
- 3-अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-  
(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।  
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 4- भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सज्जनगढ, जिला बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का सांराश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्राव.सहायक  
वास्ते मुख्य अभियन्ता,जल संसाधन  
राजस्थान जयपुर।

OFFICE OF THE E.E.W.R.O.  
R.R. No. 43/1 Dt. 22.7.18  
A. I. H. M. V. D. S. Cashier/E.C.  
E.C. W.R.C. D. K. S. M. R. K. W. C. J.  
BAO  
E.E.D.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार  
फुलपुरी फोर वाटर्स अन्तर्गत माईक्रो सिंचाई योजना के तालाब के डूब क्षेत्र में अवाप्त भूमि की धारा-11  
व 12 के प्रस्ताव

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा (राज0)  
ग्राम फुलपुरी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा (राज.) के अवाप्त भूमि के शेष खातेदारों की सूची रकबा  
एकड़ों में।

क्र.सं.	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल रकबा एकड़ों में	किस्म जमीन	अवाप्त होने वाली भूमि एकड़ों में	नाम खातेदार
1	2	3	4	5	6
1	गांव फुलपुरी 62/2.	1.03	बरडी	0.75	मानसिंग पिता कालु भील सा. देह खातेदार
2	60	1.24	बरडी-3	0.51	कंकुडी पिता मगन भील सा. देह खातेदार
योग :-				1.26	एकड़

गोश्वारा अवाप्त होने वाली भूमि का विवरण रकबा एकड़ों में

गांव	श्री सरकार भूमि	खातेदार की भूमि	योग	कुल
फुलपुरी	0.00	1.26	1.26	-
योग	0.00	1.26	1.26	-

सहायक अभियंता

लघु जल संसाधन

उप0 बांसवाड़ा मु0 सज्जनगढ

अधिशासी अभियंता

जल संसाधन खण्ड, बांसवाड़ा

अधीक्षण अभियंता

जल संसाधन वृत्त, बांसवाड़ा

प्रति हस्ताक्षर

जितेंद्र सिंह

उप बांसवाड़ा सचिव अधीक्षण अभियंता

श्री व.स.बास्ते मुख्य अभियंता, जल संसाधन

राजस्थान, जयपुर